अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल पार्टीशन वाद संख्या– 08/2008–09

सुबुधिया तियु एवं अन्य।

वनाम

संजय तियु एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद बटवारा के लिए दिनांक– 29.08.2008 को वादी 1. सुबुधिया तियु, 2. बुधन सिंह तियु, 3. मिथन तियु, सभी का पिता– स्व० जोगराम तियु एवं 4. जोगराम तियु, पिता– स्व० सुख लाल तियु, निवासी ग्राम– सिन्दरी, परगना– कोल्हान, चेराये पीढ़, थाना– मुफ्फसिल, पो०– नाकाहासा, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित भूमि का थाना संख्या– 96, खाता संख्या– 40, प्लॉट संख्या– 112, 234, 505, 936, 1492, 1514, 1521, 1683, 1684, 1494, रकवा क्रमशः– 0.19, 0.54, 0.95, 0.13, 0.44, 0.12, 0.17, 0.88, 0.24 एवं 0.41, कुल रकवा– 4.07 (चार एकड़ सात डिसमील) भूमि बटवारा हेतु प्रतिवादी संख्या 1. संजय तियु, 2. अलोक तियु, 3. कुमारी चारिवा तियु, 4. सिदु तियु एवं 5. छोटा तियु, रमाकन, सभी का पिता– स्व० गोन्दो तियु एवं सभी का निवासी ग्राम– सिन्दरी, परगना– कोल्हान, चेराये पीढ़, थाना– मुफ्फसिल, पो०– नाकाहासा, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में वादी की ओर से लम्बे समय से स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं की जा रही है और प्रतिवादी की ओर से अभी तक Written Statement दाखिल नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वादी प्रतिवादी को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

15.03.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

15.03.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.03.26 17:41:37 +05:30
Location: 10.93.66.34

Scanned with CamScanner